पत्र सं०–6 एस०एस०(6)13 / 2026– 1777 /

# बिहार सरकार
# डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 13/04/2026.

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

XX

**द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

**विषय:– वित्तीय वर्ष 2026–27 में सात निश्चय–3 के तहत बिहार के शहरी क्षेत्रों में "आधुनिक मत्स्य बिक्री केन्द्र (Fresh Catch Kiosk)" की स्थापना की योजना की कुल रुपये 1056.00 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख रुपये मात्र) राशि की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में सात निश्चय–3 के तहत बिहार के शहरी क्षेत्रों में "आधुनिक मत्स्य बिक्री केन्द्र (Fresh Catch Kiosk)" की स्थापना की योजना की कुल रुपये 1056.00 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख रुपये मात्र) राशि की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्कीम का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न।

2. राज्य में मत्स्य उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है, किन्तु संगठित विपणन व्यवस्था के अभाव में मत्स्य उत्पादकों का समुचित मूल्य संवर्धन एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण मछली की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। वर्तमान में अधिकांश शहरी क्षेत्रों में मछली की बिक्री पारंपरिक एवं असंगठित तरीके से की जाती है, जिससे स्वच्छता, गुणवत्ता, भंडारण एवं मूल्य नियंत्रण से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। वर्तमान में अधिकांश स्थानों पर पारंपरिक एवं असंगठित मत्स्य बाजार संचालित है, जिनमें निम्नलिखित समस्याएँ पाई जाती हैं :–

(i) स्वच्छता एवं गुणवता मानकों का अभाव।
(ii) उपभोक्ताओं को ताजी एवं सुरक्षित मछली उपलब्ध कराने में कठिनाई।
(iii) मत्स्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन एवं ब्रांडिंग का अभाव।
(iv) मत्स्य पालकों एवं बिक्रेताओं को व्यवस्थित विपणन मंच का अभाव।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मत्स्य उत्पादों की बेहतर विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधुनिक, स्वच्छ एवं मानकयुक्त मत्स्य बिक्री केन्द्र (Fresh catch kiosk) स्थापित किया जाना आवश्यक है। उक्त तथ्यों के मद्देनजर राज्य

सरकार के द्वारा सात निश्चय–03 में "मत्स्य पालन पर विशेष जोर" का संकल्प लिया गया है जिससे "सबका सम्मान–जीवन आसान" के साथ–साथ "दोगुना रोजगार–दोगुनी आय" की परिकल्पना साकार हो सके।

3. इस योजना के क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है :–

(i) शहरी क्षेत्रों में मानकीकृत, ब्रान्डेड फ्रेश कैच कियोस्क की स्थापना।
(ii) शहरी उपभोक्ताओं को स्वच्छ, सुरक्षित एवं ताजी मछली उपलब्ध कराना।
(iii) मत्स्य विपणन में डिजिटलीकरण एवं ई–भुगतान को बढ़ावा देना।
(iv) मत्स्य उत्पादकों की आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को सुदृढ़ करना।
(v) राज्य में संगठित मत्स्य खुदरा बाजार श्रृंखला का विकास।
(vi) राज्य में मत्स्य उत्पादों की मांग एवं आपूर्ति के बीच संतुलन स्थापित करना।
(vii) शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ एवं आधुनिक मत्स्य बिक्री प्रणाली विकसित करना।
(viii) मत्स्य पालकों/FFPO/मत्स्य सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष बाजार एवं विपणन मंच उपलब्ध कराना।
(ix) मत्स्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन एवं ब्रांडिंग को बढ़ावा देना।
(x) मत्स्य उत्पादों के विपणन को संगठित एवं आधुनिक बनाना।
(xi) रोजगार के नए अवसरों का सृजन एवं मत्स्य क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहन देना।
(xii) राजस्व सृजन – किराया एवं बिक्री अंश के माध्यम से।

4. इस योजना के तहत राज्य के प्रमुख नगरों एवं नगर निकाय क्षेत्रों में प्रथम चरण में 30 तथा द्वितीय चरण में 70 अर्थात् कुल 100 प्रीफैब्रिकेटेड फ्रेश कैच कियोस्क (मत्स्य बिक्री केन्द्र) का निर्माण किया जायेगा।

5. योजना का रूप–रेखा एवं संक्षिप्त विवरणी :–

(i) यह योजना राज्य के प्रमुख नगरों एवं नगर निकाय क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। प्रथम चरण में राज्य के प्रमुख नगरों यथा– पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णियाँ, दरभंगा, बेगूसराय, मोतिहारी, बेतिया, हाजीपुर, किशनगंज, कटिहार एवं मुंगेर में स्थापना किया जायेगा (आवश्यकतानुसार अन्य नगर निकायों में भी विस्तार किया जाएगा)।
(ii) इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य निम्नवत् है– सात निश्चय–3 कार्यक्रम के अंतर्गत मत्स्य प्रभाग/बिहार स्टेट एक्वॉकल्चर डेवलपमेन्ट निगम लि० (गठन उपरान्त) के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों के शहरी क्षेत्रों में चयनित स्थलों पर प्रथम चरण में 30 तथा द्वितीय चरण में 70 अर्थात कुल 100 प्रीफैब्रिकेटेड फ्रेश कैच कियोस्क (मत्स्य बिक्री केन्द्र) का निर्माण वित्तीय वर्षों 2026–27 में किया जाएगा।
(iii) फ्रेश कैच कियोस्क का स्वीकृत मॉडल के सभी अवयवों के निर्माण कार्य (पक्की सिविल संरचना, आधारभूत संरचना सहित कियोस्क की स्थापना, विद्युत फिटिंग,

रेफ्रीजरेटर, प्लम्बरिंग एवं पानी सप्लाई, साज–सज्जा आदि) पर संपूर्ण व्यय मत्स्य प्रभाग/राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(iv) फ्रेश कैच कियोस्क के निर्माण हेतु निर्माणकर्ता (एजेंसी/ठेकेदार) का चयन विधिवत निविदा (Tender) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

(v) कियोस्क का संचालन हेतु आवंटी/संचालक का चयन निहित नियम एवं शर्तों के अधीन विधिवत निविदा (Tender) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

(vi) प्रत्येक फ्रेश कैच कियोस्क में निम्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी –

(क) शीत श्रृंखला (Cold Chain) सुविधा।

(ख) डीप फ्रीजर एवं डिस्प्ले काउंटर।

(ग) स्वच्छ जल एवं ड्रेनेज व्यवस्था।

(घ) विद्युत आपूर्ति एवं बैकअप सुविधा।

(ङ) डिजिटल भुगतान व्यवस्था।

(च) स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था।

(vii) कियोस्क संचालन हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन।

(viii) मत्स्य उत्पादों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निगम/मत्स्य प्रभाग के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना।

6. क्रियान्वयन एजेंसी :– इस योजना का क्रियान्वयन डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय/निगम के द्वारा किया जाएगा।

7. वित्तीय प्रावधान :–

(i). योजनान्तर्गत आधुनिक मत्स्य बिक्री केन्द्र (Fresh catch kiosk) की स्थापना का इकाई लागत 11.00 लाख (न्यूनतम) तथा बीस प्रतिशत एस्केलेशन मूल्य सहित 13.20 लाख (अधिकतम) आकलित है। निर्धारित इकाई लागत का 80 प्रतिशत तथा वास्तविक निर्माण राशि दोनो में से जो न्यूनतम होगा उतना ही राशि सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। शेष राशि योजनान्तर्गत विधिवत चयनित संचालक–लाभुक द्वारा स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से वहन किया जायेगा।

(ii). योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होने पर अतिरिक्त राशि का वहन संचालक–लाभुक द्वारा स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से किया जायेगा।

(iii). योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 30 तथा द्वितीय चरण में 70 अर्थात कुल 100 कियोस्क स्थापित किया जायेगा जिसपर अधिकतम 10.56 करोड़ राशि व्यय होने का अनुमान है (विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I संलग्न)।

(iv). कियोस्क की स्थापना विभागीय/नगर निकाय/जिला प्रशासन/अन्य सरकारी भूमि पर पर स्थापित किया जायेगा।

8. संचालन एवं रख–रखाव :–

(i) कियोस्क का संचालन चयनित लाभार्थी द्वारा निधारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

(ii) संचालन एवं रख–रखाव का व्यय लाभार्थी/संचालक द्वारा वहन किया जायेगा।

(iii) विभाग द्वारा समय–समय पर निरीक्षण एवं निगरानी की जायेगी।

9. अपेक्षित परिणाम :–

(i) शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ मत्स्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

(ii) मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि होगी।

(iii) राज्य में मत्स्य विपणन प्रणाली सुदृढ़ होगी।

(iv) रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

(v) उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर ताजी मछली उपलब्ध होगी।

(vi) ब्रांड "Fish of Bihar" को बढ़ावा मिलेगा।

10. मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन :– योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विभागीय/मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना स्तर पर मॉनिटरिंग तंत्र स्थापित किया जायेगा तथा समय–समय पर योजना की समीक्षा की जायेगी।

11. योजनान्तर्गत आधुनिक मत्स्य बिक्री केन्द्र (Fresh catch kiosk) की स्थापना हेतु निर्माणकर्ता/फैब्रिकेटर का सूचीबद्ध (empanelment), संचालक–लाभुक का चयन, मासिक किराया का निर्धारण आदि से सम्बन्धित आवश्यकतानुसार विस्तृत अनुदेश/दिशा–निदेश विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जायेगा।

12. योजना के सफल क्रियान्वयन तथा क्रियान्वयन के क्रम में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होता है तो योजना में आंशिक संशोधन एवं आवश्यक दिशा–निर्देश/अनुदेश निर्गत करने का अधिकार अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पास निहित होगा।

13. इस योजना के स्वीकृत राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना होंगे। साथ ही, निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

14. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि आवश्यकतानुसार बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय किया जा सकेगा।

15. योजनान्तर्गत स्वीकृति राशि के अनुरूप निदेशक मत्स्य के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

16. बजट शीर्ष एवं बजट की उपलब्धता :–

योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अंतर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0119 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–3, विपत्र कोड 02–2405001010119 विषय शीर्ष–0119.31.05 –सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

17. दिनांक–04.04.2026 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका–6 एस०एस०(6) 13/2026 के पृष्ठ 36–35/प०.

18. निदेशक, मत्स्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

19. यह स्कीम सात निश्चय–3 के अन्तर्गत एक नयी स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य रुपये 5.00 करोड़ से अधिक एवं रुपये 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–2(क) में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के आलोक में स्कीम की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)13/2026 के पृ०–20/टि०, दिनांक–08.04.2026.

20. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)13/2026 के पृष्ठ–21/टि० तथा डायरी सं०–226, दिनांक–10.04.2026.

21. वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)13/2026– 1777 /पटना–15, दिनांक– 13/04/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)13/2026– 1777 /पटना–15, दिनांक– 13/04/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)13/2026– 1777 /पटना–15, दिनांक– 13/04/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/संयुक्त मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), मत्स्य अन्वेषणालय, मीठापुर, पटना/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार/बिहार स्टेट एक्वॉकल्चर डेवलपमेन्ट निगम लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)13/2026– 1777 /पटना–15, दिनांक– 13/04/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)13/2026– 1777 /पटना–15, दिनांक– 13/04/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)13/2026– 1777 /पटना–15, दिनांक– 13/04/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा–6 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)13 / 2026– 1777 /पटना–15, दिनांक– 13/04/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री / सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)13 / 2026– 1777 /पटना–15, दिनांक– 13/04/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

7 Typed by Sanjay Kumar

# अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2026–27 में सात निश्चय–3 के तहत बिहार के शहरी क्षेत्रों में "आधुनिक मत्स्य बिक्री केन्द्र (Fresh catch kiosk)" की स्थापना की योजना पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :–

(राशि लाख में)

| क्र० सं० | विपत्र कोड | विषय शीर्ष | स्वीकृत राशि | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | कोषागार का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 02–2405001010119 | 0119.31.05 –सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण। | 1056.00 | निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना। | सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना। |
| | | **योग :–** | **1056.00** | | |

(दस करोड़ छप्पन लाख रुपये मात्र)

1777
13/04/26

सरकार के संयुक्त सचिव